न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–66 / 2014–15

जय मंगल सिंह वगैरह बनाम राज्य एवं राम बचन सिंह

Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

15/3/18

यह पुनरीक्षण वाद, दाखिल खारिज अपील वाद सं0 02 / 2014–15 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक 28.11.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

विवादित भूखण्ड का विवरण

अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकबा
1	2	3	4	5	6
दानापुर	धनौत	20	342	1937	7 डी0
			342	1938	8 डी0
			320	1912	2 डी0

इस न्यायालय में वाद की प्रविष्टी के पश्चात विपक्षी राम बचन सिंह, पिता स्व0 मेवा महतो, ग्राम–चुल्हाईचक, पो0–खगौल, थाना–रूपसपुर, जिला–पटना को सामान्य एवं निबंधित नोटिस निर्गत की गयी। उपस्थित नही होने की स्थिति में दिनांक 02.08.2016 के दैनिक भास्कर समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करायी गयी। समाचार पत्र में सूचना प्रकाशन के बाद भी विपक्षी के उपस्थित नहीं होने की स्थिति में 14.03.2018 को एक पक्षीय सुनवाई कर आदेश पर रखा गया।

आवदेक का कहना है कि

(1) विवादित भूखण्ड सर्वे खतियान में विशेशर महतो, वल्द लक्ष्मी नारायण महतो को एक हिस्सा और राम किसुन महतो वो मोहन महतो पेसरान चुन्नी महतो को एक हिस्सा बराबर दर्ज है। उभय पक्ष लक्ष्मी नारायण महतो के वंशज है।

(2) विवादित भूखण्ड दिनांक 29.03.1929 के पारिवारिक बंटवारा में आवेदकगण के पूर्वजों को मिला। तभी से प्रश्नगत भूखण्ड पर आवेदकगण का दखल–कब्जा है तथा रसीद भी कट रही है। विपक्षी सं0 2 का प्रश्नगत भूखण्ड कोई दावा नहीं बनता है।

(3) अंचलाधिकारी, दानापुर के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 23 / 2013–14 के अन्तर्गत दिनांक 04.03.2014 के आदेश के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी आवेदकगण के नाम से कायम करने का आदेश दिया

गया था।

(4) विपक्षी सं0 2 राम बचन सिंह के द्वारा अंचलाधिकारी, दानापुर के दिनांक 04.03.2014 के आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0 02/2014–15 दायर किया गया।

(5) भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा तथ्यों एवं साक्ष्यों की अनदेखी करते हुए, दिनांक 28.11.2014 को अपील स्वीकृत करते हुए अंचलाधिकारी, दानापुर के आदेश को निरस्त कर दिया गया।

(6) भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 02/2014–15 में दिनांक 28.11.2014 को पारित आदेश को अवैध बताते हुए रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदकगण के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है।

(1) सर्वे खतियान की प्रति

(2) वंशावली का शपथ–पत्र

(3) रेहन वापस किये जाने संबंधी दिनांक 26.03.1933 का कागज

(4) रामानंद सिंह के नाम से निर्गत पर्चा

(5) दिनांक 29.03.1929 का पंचनामा

(6) वर्ष 1969–70 की लगान रसीद

(7) जयमंगल सिंह एवं अन्य के नाम से निर्गत वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 की लगान रसीद

दाखिल खारिज वाद सं0 23/2013–14 में अंचलाधिकारी, दानापुर के द्वारा दिनांक 04.03.2014 को पारित आदेश, दाखिल खारिज अपील वाद सं0 02/2014–15 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक 28.11.2014 को पारित आदेश तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजात के परिशीलन के उपरान्त निम्न तथ्य सामने आते है।

(1) अंचलाधिकारी, दानापुर के द्वारा रामानंद महतो वल्द आभिचन्द महतो के नाम वर्ष 1969–70 की लगान रसीद की छाया–प्रति को आधार बनाते हुए, इस बाद के आवेदकगण के नाम से दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी है, जबकि राजस्व कर्मचारी के द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रश्नगत रसीद जमाबंदी नं0 82 के संदर्भ

में है, परन्तु जमाबंदी पंजी में जमाबंदी सं0 82 शिव दयाल चौधरी के नाम से है। इस प्रकार वर्ष 1969–70 की उक्त लगान रसीद संदेहास्पद हो जाती है तथा एक संदेहास्पद लगान रसीद के आधार पर दाखिल खारिज की स्वीकृति दिया जाना उचित नहीं है।

(2) अंचलाधिकारी, दानापुर के द्वारा दिनांक 29.03.1929 के सादा पंचनामा को भी दाखिल खारिज का आधार बनाया गया है। यदि 1929 में ही प्रश्नगत भूखण्ड आवेदकगण को हिस्से में मिल गयी थी, तो जमाबंदी आवेदकगण के नाम से कायम हो जानी चाहिए थी। लगभग 80 वर्ष के बाद सादा अनिबंधित पंचनामा के आधार पर दाखिल खारिज की स्वीकृति दिया जाना उचित नहीं है।

(3) उभय पक्ष खतियानी रैयत के वंशज है। इनके बीच हक हिस्सा को लेकर यदि कोई विवाद है तो इसका निर्णय सक्षम व्यवहार न्यायालय से ही हो सकता है।

सम्यक विचारोपरान्त मैं यह पाता हूँ कि दाखिल खारिज अपील वाद सं0 02/2014–15 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक 28.11.2014 को पारित आदेश उचित एवं विधि सम्मत है। उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

15/3/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्ता,पटना

15/3/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्ता,पटना